कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल (म.प्र.)

: : परिपत्र : :

क्र./ 8 /एक—01—01/2020 शहडोल, दिनांक 11 .01.2022

कोविड—19 ओमीक्रान वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव से रोकथाम हेतु रजिस्ट्री सर्कुलर क्र. A/136/2022 जबलपुर दिनांक 07.01.2022 में प्राप्त निर्देश के अनुशरण में जिला अधिवक्ता संघ, शहडोल के पदाधिकारियों के साथ संपन्न हुई बैठक में सहमति से निर्णय लिया गया है कि जिला मुख्यालय, शहडोल एवं तहसील न्यायालय, बुढ़ार/जयसिंहनगर/ब्यौहारी/ जैतपुर में संचालित बाहय न्यायालयों को अवगत कराते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:—

1. न्यायालयों में भौतिक सुनवाई के साथ—साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यमसे प्रकरण की सुनवाई की जा सकेगी। जहां तक संभव हो वर्चुअल मोड में सुनवाई के प्रयास किए जायें।
2. प्रथम रिमांड प्राप्त करने के लिए अभियुक्त को न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् अभियुक्त की उपस्थिति वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वीकार की जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में न्यायाधीश के आदेश पर ही अभियुक्त को न्यायालय में भौतिक/वर्चुअल रूप से उपस्थित रखा जावे।
3. न्यायालयों में आपराधिक प्रकरणों मे अभियुक्त की ओर से एक ही अधिवक्ता उपस्थित होंगे। इसी प्रकार सिविल प्रकरणों में पक्षकारों की ओर से एक—एक अधिवक्ता ही उपस्थित होंगे। पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं के अतिरिक्त न्यायालय में अन्य बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।
4. न्यायालय के अंदर केवल उन्हीं अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को प्रवेश दिया जावेगा, जिनका प्रकरण सुनवाई में लिया जा रहा है, शेष अधिवक्तागण न्यायालय परिसर/न्यायालय के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए अपने प्रकरण के सुनवाई की प्रतीक्षा करेंगे।
5. जमानत संबंधी प्रकरणों में पक्षकार के अलावा अन्य आवश्यक व्यक्तियों, जमानतदार आदि के प्रवेश हेतु पीठासीन अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी।
6. समस्त न्यायालयों में सी.आई.एस. साफ्टवेयर में प्रकरणों की केस प्रोसीडिंग, जजमेंट तथा आर्डर अपलोडिंग का कार्य अनिवार्य रूप से सायं 06.30 बजे तक किया जावे, ताकि समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारों को प्रकरण से संबंधित जानकारी ऑनलाईन प्राप्त हो सके।
7. सभी कर्मचारीगण/अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण को मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. जिन व्यक्तियों ने कोविड—19 वैक्सीनेशन करा लिया है, उन्हीं को कोविड—19 वैक्सीनेशन का प्रमाण दिखाये जाने पर न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जावे।
9. न्यायालय के प्रवेश द्वार पर हैंडवाश, सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
10. न्यायालय परिसर में प्रवेश कर रहे अधिवक्ता, पक्षकार, कर्मचारीगण की थर्मल स्नैकर से जांच उपरांत प्रवेश सुनिश्चित किया जावे। किसी भी अधिवक्ता/ कर्मचारी में बुखार या फ्लू के लक्षण होने पर उन्हें न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जावे। किसी कर्मचारी में उपरोक्त लक्षण पाये जाने की स्थिति में तत्काल पीठासीन अधिकारी/प्रधान जिला न्यायाधीश को सूचित किया जावे।
11. न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्केनिंग किए जाने हेतु प्रवेश द्वार पर एक कर्मचारी की ड्यूटी नजारत अनुभाग द्वारा निरंतर बारी—बारी से लगाई जावे।
12. न्यायालय परिसर में अधिवक्तागण एवं सुनवाई के लिए नियत प्रकरणों के

पक्षकारगण के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा।

13. बार रूम में भी अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण द्वारा मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

14. कोविड–19 के संक्रमण को रोकने के लिए जिला न्यायालय, शहडोल में कोर्ट परिसर का गेट नंबर–1 बंद रहेगा एवं मंदिर के बगल से खुली जगह को पूर्व की भांति अवरूद्ध किया जावे तथा कैंटीन प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग का आवश्यक रूप से पालन कराया जावे।

15. किसी भी न्यायिक अधिकारी/कर्मचारीगण को जिले से बाहर रहने की स्थिति में कर्त्तव्य पर पुनः उपस्थित होते समय RTPCR टेस्ट उपरांत निगेटिव रिपोर्ट के साथ कर्त्तव्य पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना व कराना सुनिश्चित करें।

sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शहडोल (म.प्र.)

पृ.क./ 78 /एक–01–01/2020 शहडोल, दिनांक 11.01.2022

1. निज सहायक, माननीय पोर्टफोलियो जज महोदय, जबलपुर
2. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर
   ....की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, शहडोल
4. पुलिस अधीक्षक, शहडोल
5. समस्त पीठासीन अधिकारी, जिला शहडोल
6. समस्त अनुभाग प्रभारी अधिकारी, जिला शहडोल
7. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल
8. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, शहडोल
9. जिला आबकारी अधिकारी, शहडोल
10. लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक, शहडोल/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, ब्यौहारी/बुढ़ार
11. अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, शहडोल, बुढ़ार, जयसिंहनगर, ब्यौहारी, जैतपुर
12. अधीक्षक, जिला जेल, शहडोल/उपजेल, बुढ़ार, ब्यौहारी
13. थाना प्रभारी, जीआरपी, शहडोल
14. उप संचालक, जनसंपर्क, शहडोल
15. प्रशासनिक अधिकारी
16. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, शहडोल
17. जिला नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग, शहडोल/बुढ़ार/ब्यौहारी/जयसिंहनगर/जैतपुर
    ....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
18. प्रस्तुतकार, न्याया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल की ओर प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष सूचनार्थ रखे जाने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शहडोल (म.प्र.)